प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

1014-75

पत्रांकः– SPMU/NHM/NCD/NTCP/Misc. / 2022–23 & 2023–24 / 07–B दिनांक 9.5.2023

विषयः–"विश्व तम्बाकू निषेध" दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तावित गतिविधियों के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस"** के रूप में मनाया जाता है, अवगत कराना है कि इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–31 मई, 2023", **"We Need Food, Not Tobacco"** थीम पर मनाया जाना है।

इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023" के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा एक माह (15 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक) का अभियान चलाया जाना है, जिस हेतु जनपद स्तर पर निम्न गतिविधियां आयोजित की जानी प्रस्तावित है–

1– जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन कर (15 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक) तम्बाकू नियंत्रण हेतु अभियान की कार्ययोजना तैयार करना।

2–प्रति सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 (Cigrette & Other Tobacco Poducts Act) एवं इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रतिबन्ध एवं हानियों के प्रति प्रचार–प्रसार एवं इन्फोर्समेंट किया जाना।

3–प्रदेश के समस्त जनपदों में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर दिनांक 31 मई, 2023 को "तम्बाकू मुक्त उत्तर प्रदेश" हेतु शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाये।

3–एन0टी0सी0पी0, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 एवं एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर / साइकोलॉजिस्ट द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों की काउन्सलिंग की जाये।

4–ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों (ओरल कैंसर, फेफडों का कैंसर, स्ट्रोक, इंर्फटिलिटी, नपुसंकता, दिल का दौरा आदि) के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाये।

5–जनप्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक प्रचार–प्रसार।

6–प्रिंट / इलेक्ट्रानिक / सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार–प्रसार।

7–शिक्षा विभाग के सहयोग से समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना एवं उनकी मॉनीटरिंग करना।

8–आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।

9–नगर / ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों में ऑडियो क्लिप के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।

10–जिला / उप जिला चिकित्सालय / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलेक्ट्रानिक स्क्राल के माध्यम से तम्बाकू निषेध सम्बन्धित सूचना प्रसारण।

11–जनपद / ब्लॉक स्तर पर रैली / गोष्ठी / कार्यशाला / नुक्कड़ नाटक / पोस्टर / निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।

12–आशा–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से तम्बाकू उपयोग के दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार।

13–ग्राम पंचायत स्तर पर गठित VHSNC के माध्यम से ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान आयोजित करना।

14–VHND/UHND/JAS/MAS आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व किशोर–किशोरियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरुक करना।

15–एन0टी0सी0पी0/आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0 टीम के द्वारा स्कूल कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों एवं सेवन न करने हेतु जागरूक करना।

16– कोटपा एक्ट –2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम) के अन्तर्गत की धारायें जिनका अनुपालन किया जाना है जो कि निम्नलिखित हैं–

- धारा 4: मुख्य रुप से सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान पर प्रतिबन्ध एवं जुर्माना रु0 200–10000 तक का प्रावधान है साथ ही 5 साल तक की जेल भी हो सकती है।
- धारा 6: के अन्तर्गत–
  A. तम्बाकू विक्रेता द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है।
  B. विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचना अपराध है।
- धारा 7: मुख्य रुप से सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद बिना चित्रमय चेतावनी के नहीं बेचे जा सकता।
  अतः विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चला कर कोटपा अधिनियम धारा 4, 6 व 7 का अनुपालन कराया जाये।

17–उक्त समस्त गतिविधियों का आयोजन जिला स्तरीय नोडल अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप उक्त वर्णित गतिविधियों को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त गतिविधि के व्यय हेतु धनराशि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुसंगत एफ0एम0आर0 मद में बुक की जायेगी।

भवदीया

Aparna-U.

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः–SPMU/NHM/NCD/NTCP/Misc./2022–23 & 2023–24/07–B तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जन जागरूकता हेतु अपने स्तर से सर्व–संबंधित विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0टी0सी0पी0, उ0प्र0।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक